बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0

"खाद्य भवन" दरोगा प्रसाद राय पथ, आर0 ब्लाक रोड नं0–2 पटना 800001

कार्यालय आदेश

विक्रेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति कार्य एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि0 को नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना पड़ता है। इसके सफल संचालन के आलोक में समय–समय पर अधिप्राप्ति कार्य हेतु विभिन्न व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेना पड़ता है। प्रत्येक वर्ष की तरह अधिप्राप्ति वर्ष 2016–17 के लिए 2000 (दो हजार) करोड़ रूपये विभिन्न व्यावसायिक बैंकों से ऋण के रूप में लिया गया है। इस रकम पर एक वर्ष में लगभग 175 (एक सौ पचहत्तर) करोड़ रूपये का ब्याज भुगतान किया जाना है। साथ ही परिवहन मद, कार्मिक पर व्यय, डीलर कमीशन, कर, कार्यालय एवं गोदाम भाड़ा, इत्यादि के अंतर्गत केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा योजनावार राशि भेजी जाती है। इनमें डीलर कमीशन मद से कुछ राशि वापस करनी पड़ती है। ऐसी परिस्थिति में एक प्रभावी लेखापुस्त संधारण के अभाव में विभिन्न मदों में प्राप्त राशियों का सही ढंग से संधारण नहीं देखा गया है एवं किसी खास अवधि के लिए किसी खास मद में होने वाले व्यय या प्राप्ति का कोई सही मिलान उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसके आलोक में प्रभावी लेखापुस्त संधारण की दृष्टि से मुख्यालय द्वारा मदवार इन खातों को कर्णांकित करते हुए बैंकवार नामित किया गया है ताकि आवश्यकतानुसार किसी खास अवधि या किसी खास योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि का सही आकलन किया जा सके। इसके अतिरिक्त ऋण पर उपचित ब्याज की राशि जो समेकित रूप से लगभग 725 (सात सौ पचीस) करोड़ रूपये ऋण खातो से किया गया है, को सरकार द्वारा प्राप्त राशियों से किसी खास हद तक बचाया जा सकता है। निगम को इस संभावित हानि से बचाने के उद्देश्य से मातृ–शिशु संबंध का सहारा लेकर कर्णांकित शिशु खाता से मातृ खाता में स्वतः न्यूनतम राशि छोड़कर जमा किया जा सकता है। तदनुसार निगम निदेशक पर्षद की 149वीं बैठक के मद संख्या–149/11 के द्वारा दिनांक–31.05.2017 को सभी निदेशक द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया जो इस प्रकार है:–

149/11: Opening of head-wise designated bank accounts for effective accounting:

The board of directors discussed the matter and the following resolutions were passed unanimously:

"RESOLVED THAT consent of the Board of Directors of the Company be and is hereby accorded for operation of head-wise Parent-Child Account in designated Commercial Bank."

इस पारित प्रस्ताव के आलोक में प्रभावी लेखापुस्त संधारण के लिए निगम मुख्यालय के निम्नलिखित कर्णांकित मदवार बैंकवार सूची ही प्राप्त राशियों के लिए तत्काल प्रभाव से कर्णांकित किया जाता है–

शिशु बैंक खाता	मद	मातृ बैंक खाता
कॉरपोरेशन बैंक, 055000101015679	परिवहन एवं हथालन व्यय	कॉरपोरेशन बैंक, 032300401170001
इण्डियन बैंक, 6282639495	जन वितरण प्रणाली दुकानदारों द्वारा राशि जमा करने हेतु	इण्डियन बैंक, 6516385390
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया 730402010001278	मुख्यालय में कार्यरत कर्मियों का वेतन एवं स्थापना व्यय; सेवान्त लाभ एवं उपादान	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया 622405010000113
बैंक ऑफ इण्डिया, मुरादपुर चौहट्टा शाखा। 1) 440820110000339 2) 440820110000359	1) कम्प्यूटरीकरण कार्य का भुगतान 2) जिले के कार्मिकों का वेतन भुगतान	बैंक ऑफ इण्डिया, बी0सी0पी0 मार्ग शाखा, पटना 441030110000039
आन्ध्रा बैंक, 285011100000195	वैट, कमर्शियल टैक्स, मकान एवं गोदाम भाड़ा तथा आकस्मिकता व्यय	आन्ध्रा बैंक, 041813100000344
इलाहाबाद बैंक, 50375519040	डीलर्स कमीशन (केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों)	इण्डियन बैंक, 6516385390

31/7/2017

मातृ–शिशु खाता संचालन के संबंध में निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जाते हैं:–

1. बैंक से ऋण मद में प्राप्त होने वाली राशि संबंधित बैंक ऋण खाता (जो मातृ खाता होगा) में सीधे जमा किया जायेगा एवं स्वीकृत ऋण संबंधी निर्गत अधिप्राप्ति कार्य में सी0सी0 लिमिट उपलब्ध कराया जायेगा एवं Public Financial Management System (PFMS) को लागू किया जायेगा।
2. केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से पी0एल0 खाता के माध्यम से प्राप्त राशि मदवार चिन्हित कर बचत खाता (शिशु खाता) में जमा किया जायेगा एवं उक्त शिशु खाता से जो न्यूनतम निर्धारित राशि से अतिरिक्त राशि स्वतः उस से संबंधित मातृ बैंक खाते में स्थानान्तरित होगा।
3. निगम में विभिन्न मदों में व्यय शिशु खाते में जमा राशि को आहरण संबंधी मद में व्यय के लिए किया जायेगा एवं किसी भी परिस्थिति में ऋण की राशि का व्यय अधिप्राप्ति को छोड़कर अन्य मद में अनुमान्य नहीं होगा।
4. संबंधित बैंक खातों से होने वाले हस्तान्तरण (ट्रान्जेकशन) का साप्ताहिक विवरणी (स्टेटमेन्ट) ई0मेल एवं बैलेन्स एस0एम0एस0 के माध्यम से प्रमुख वित्त/महाप्रबंधक वित्त एवं वित्तीय सलाहकार, लेखा पदाधिकारी को समर्पित करेगा जिसका तत्क्षण मिलान वित्त शाखा द्वारा किया जायेगा ताकि किसी प्रकार की अनियमितता न हो।
5. डोर स्टेप डिलवरी योजना 2016 के अन्तर्गत परिवहन मद एवं हथालन व्यय Public Financial Management System (PFMS) के माध्यम से निगम, जिला प्रबंधक एवं परिवहन तथा हथालन अभिकर्त्ता के बैंक खाते निबंधित होंगे एवं इस हेतु जिले को स्थानान्तरित राशि का एस0एम0एस0 एलर्ट संबंधित जिला प्रबन्धक को भेजी जायेगी जिनकी यह जवाबदेही होगी कि इसका मिलान संबंधित बैंक खातें से दैनिक रूप से कर लेंगे।
6. उपर्युक्त सभी प्रस्तावों पर बैंकर्स का बैठक में अनुमोदन प्राप्त है एवं कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

<u>उपर्युक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा</u>।

25/10/2017
प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांक : 04:14:01:2014 (पार्ट–1) –11013 वित्त, पटना/दिनांक– 30/10/17
प्रतिलिपि– सभी प्रमुख सम्प्रति मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक/प्रबंध निदेशक कोषांग वित्त शाखा, निगम मुख्यालय को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।

25/10/2017
प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांक : 04:14:01:2014 (पार्ट–1) –11013 वित्त, पटना/दिनांक– 30/10/17
प्रतिलिपि– सभी संबंधित बैंकों के मुख्य प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/10/2017
प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांक : 04:14:01:2014 (पार्ट–1) –11013 वित्त, पटना/दिनांक– 30/10/17
प्रतिलिपि– सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/10/2017
प्रबंध निदेशक।